24/3/22

प्रार्थी व वकील प्रार्थीगण उप० नही। बार-बार आवाज दिलायी गई किन्तु कोई उप० नही आया। चूंकि दावा वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी मे खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति मे प्रा० पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पूर्व मे जारी T.I खारिज की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)